रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 97] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 2, 1972/वैशाख 12, 1894

No. 97] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 2, 1972/VAISAKHA 12, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MAY 1972

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

RESOLUTION

New Delhi, the 2nd May 1972

No. 5(11)-Tex(D)/67.—The Government of India have decided to reconstitute the Jute Textiles Consultative Council with the following members:—

Chairman

1. Minister of Foreign Trade.

Members

2. Secretary, Ministry of Foreign Trade.
3. Additional Secretary, Ministry of Foreign Trade.
4. Joint Secretary (Jute) Ministry of Foreign Trade.
5. Additional Secretary, Ministry of Agriculture.

6. Director, Ministry of Finance (FT Division).

7. D.G.S. & D., New Delhi.

8. Chairman or Managing Director, Jute Corporation of India.

9. Chairman, Indian Jute Mills Association, Calcutta.

10. Two other representatives of the Indian Jute Mills & Association, Calcutta.

11.

12. Chairman, Calcutta Jute Fabrics Shippers' Association, Calcutta.

13. Chairman, East India Jute & Hessian Exchange, Calcutta.

14. Director, Indian Jute Industries Research Association, Calcutta (Dr T. Radhakrishnan).

15. Chairman, Jute Development Council (Shri D. K. Singh).

16. One representative of Jute machinery manufacturers.

17. One representative of labour employed in the jute industry (Shri Bhowani Roy Chowdhuri).

18. One representative of State Trading Corporation of India (Dr. N.C.B. Nath, Director).

19. One representative of bankers (State Bank of India, Calcutta).

20. One representative of 'other interests' (Shri Vidyakar Kavi, Bihar).

21. Jute Commissioner, Calcutta—*Member Secretary.*

Government will endeavour as far as possible to consult the Council generally on important matters concerning the jute industry, particularly in regard to development of the jute industry, including production, diversification, modernisation, exports of jute manufactures etc.

The Council has been nominated for a period of two years with effect from the date of this Resolution.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments, all Chief Commissioners, all Ministries of the Government of India, Prime Minister's Secretariat, the Private and Military Secretaries to the President, the Planning Commission, the Central Board of Revenue and the Comptroller and Auditor General of India.

Ordered that it be published in the Gazette of India.

B. D. KUMAR, Jt. Secy.

विदेश व्यापार मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 2 मई, 1972

सं० 5(11)-टैक्स (डी)/67.—भारत सरकार ने पटसन वस्त्र परामर्शी परिषद् को पुनर्गठित करने का विनिश्चय किया है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

अध्यक्ष 1. विदेश व्यापार मंत्री

सदस्य

2. सचिव, विदेश व्यापार मंत्रालय ।

3. अपर सचिव, विदेश व्यापार मंत्रालय ।

4. संयुक्त सचिव (पटसन) विदेश व्यापार मंत्रालय ।

5. अपर सचिव, कृषि मंत्रालय ।

6. निदेशक, वित्त मंत्रालय (विदेश व्यापार प्रभाग) ।

7. पूर्ति तथा निपटान महानिदेशक, नई दिल्ली ।

8. अध्यक्ष अथवा प्रबन्ध निदेशक, भारतीय पटसन निगम ।

9. अध्यक्ष, भारतीय पटसन मिल संघ, कलकत्ता ।

10. भारतीय पटसन मिल संघ, कलकत्ता के दो प्रतिनिधि तथा

11.

12. अध्यक्ष, कलकत्ता जूट फैक्टिक्स शिपर्स एसोसिएशन, कलकत्ता ।

13. अध्यक्ष, ईस्ट इंडिया जूट एन्ड हैसियन एक्सचेंज, कलकत्ता ।

14. निदेशक, भारतीय पटसन उद्योग गवेषणा संघ कलकत्ता ।
(डा० टी० राधाकृष्णन)

15. अध्यक्ष, पटसन विकास परिषद् (श्री डी० के० सिंह) ।

16. पटसन मशीनों के विनिर्माताओं का एक प्रतिनिधि ।

17. पटसन उद्योग में काम में लगे श्रमिकों का एक प्रतिनिधि (श्री भवानी राय चौधरी) ।

18. राज्य व्यापार निगम का एक प्रतिनिधि (डा० एन० सी० बी० नाथ, निदेशक)

19. बैंकों का एक प्रतिनिधि (स्टेट बैंक आफ इण्डिया, कलकत्ता) ।

20. अन्य हितों का प्रतिनिधि (श्री विद्याकर कवि, बिहार) ।

21. पटसन आयुक्त, कलकत्ता— सदस्य सचिव

सरकार यथा संभव साधारणतः पटसन उद्योग से सम्बन्धित, महत्वपूर्ण मामलों में विलोम रूप से पटसन उद्योग के विकास के सम्बन्ध में, जिसमें, उत्पादन विविधीकरण, आधुनिकीकरण, पटसन से बने माल आदि के निर्यात शामिल हैं, परिषद् से परामर्श करने का प्रयत्न करेगी ।

परिषद् को इस संकल्प की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए मनोनीत किया गया है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति, सभी राज्य सरकारों सभी मुख्य आयुक्तों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, प्रधान मंत्री सचिवालय, राष्ट्रपति के निजी तथा सैनिकों सचिवों योजना आयोग, केन्द्रीय राजस्व बोर्ड तथा भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को भेजी जाए ।

आदेश दिया जाता है कि इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

बी० डी० कुमार,
संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972.